फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– नाथुसिंह

किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ.

विपक्षी :– सोहनकुंवर

पत्रावली संख्या : 63/12

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 15.06.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 कैम्प भीमल में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में विपक्षी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर पूर्व में इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थी व विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी सं. 1 द्वारा दिनांक 25.09.2001 को रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया। जिसका नामान्तरकरण नहीं खुला हैं। चूंकि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में भी न्यायालय के प्रकरण सं. 27/11 प्रार्थना पत्र नाथुसिंह बनाम सोहनकुंवर में दिनांक 30.11.2011 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने से व उसके पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दस्तावेज होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से किसी को भी नुकसान नहीं हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल की आराजी न. 530 किता 1 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प भीमल में सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)

सहायक कलक्टर

(SDO) मावली

Scanned by CamScanner